[2023] 12 एस. सी. आर 150:2023 आई. एन. एस. सी 816

मुकदमों का विवरण

मेसर्स आर. पी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम

मुकुल कुमार और ए. एन. आर. (2021 की सिविल अपील संख्या 5590) सितंबर 11,2023

[संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःचाहे वाणिज्यिक इकाई का दावा मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित हो, अपील यू/एस में।37 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान को ऋणदाताओं की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लंबित अनुमोदन के बाद विलंबित चरण में शामिल किया जा सकता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016–निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत–ऋणदाताओं की समिति–सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लंबित अनुमोदन–मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित वाणिज्यिक इकाई के दावे को एक अपील में शामिल करना।37 287 दिनों की देरी के बाद, यदि अनुमत होः

आयोजित किया गयाःसमाधान आवेदक पर अनिर्णित दावों को जारी करना कठिन पंथ है–सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अदालत को दावों की अनुमति देने के खिलाफ आगाह किया जाता है–समाधान आवेदक द्वारा किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होने की प्रक्रिया–समाचार पत्रों के माध्यम से सी. आई. आर. पी. की सार्वजनिक घोषणा इकाई के बारे में समझी गई जानकारी का गठन करेगी–वाणिज्यिक इकाई को यह पता लगाने के लिए पर्याप्त सतर्क रहना चाहिए था कि क्या कॉर्पोरेट देनदार सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा था–समाचार पत्रों की घोषणाओं के बारे में जागरूक नहीं होने की याचिका इकाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है–केवल यह तथ्य कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि योजना आगे–पीछे जा सकती है, जिससे सी. आई. आर. पी. एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगी–इसके परिणामस्वरूप पूरे मुद्दे को फिर से खोला जाएगा।

150 151

मेसर्स आर. पी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाममुकुल कुमार और ए. एन. आर.

और सुलह अधिनियम, 1996 –धारा 37–भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016।[पारस 17–22]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति ने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य के माध्यम से। (2020) 8 एस. सी. सी. 534–पर निर्भर था।ब्रिलियंट अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री एस. राजगोपाल और अन्य। (2022) 2 एस. सी. सी. 544; राज्य कर कार्यालय बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1162; पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम।रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड

& ओआरएस। 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 842–संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 5590

2021

2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.1050 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

डॉ. मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता, तेजास पटेल, सुश्री मीरा कौरा पटेल, उत्कर्ष प्रताप, साकेत, सुश्री मुस्कान गांधी, लवकेश भंभानी, हर्षवर्धन ठाकुर, पवन अनेजा, तेजुस पुरुषोत्तमन, गगन गुप्ता, मनु मनचंदा, नितिन सिंह, अंकुर यादव, सुश्री रितु यादव, कुलदिप यादव, शशांक शेखर, अपूर्वा सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राजीव के विरमानी, अर्जुन अग्रवाल, अनुज मल्होत्रा, अभिनव अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, वैभव मनु श्रीवास्तव, सुश्री रिया थॉमस, अभिजीत सिन्हा, आदिश शर्मा, नितिन पांडे, दीपक चावला, अरुज ढींगरा, आकाश खट्टर, नवप्रीत एस अहलूवालिया, आकाश चटर्जी, उमेश कुमार खेतान, सौरभ कालिया, सुश्री आस्था अग्रवाल, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश संजय किशन कौल, जे।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. अपीलार्थी और मेसर्स के. एस. टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में संदर्भित किया गया है) के बीच फरीदाबाद, हरियाणा में एक आवासीय समूह आवास परिसर में 8 एकड़ की भूमि के विकास के लिए एक समझौता किया गया था।हालाँकि, अपीलार्थी ने अपने नाम के तहत परियोजना का विज्ञापन करने में कॉर्पोरेट देनदार के कथित कदाचार से व्यथित होकर और अपीलार्थी के नाम का उल्लेख किए बिना, 02.05.2011 पर मध्यस्थता का संदर्भ मांगा।

2. मध्यस्थता कार्यवाही का समापन अपीलार्थी के पक्ष में दिनांकित 01.08.2016 के एक निर्णय में हुआ।मौद्रिक दावा देने के अलावा, पुरस्कार ने अन्य बातों के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार को अपीलार्थी को आवश्यक लाइसेंसों के हस्तांतरण के लिए अधिकारियों को आवेदन करने का निर्देश दिया।पुरस्कार से व्यथित, निगमित ऋणदाता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'मध्यस्थता अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत 26.09.2016 पर एक याचिका का नेतृत्व किया।ऐसा प्रतीत होता है कि उसी तारीख को, अपीलार्थी ने उक्त पुरस्कार के संबंध में निष्पादन कार्यवाही का नेतृत्व किया।उन निष्पादन कार्यवाही को अंततः मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही के लंबित होने के कारण 1 तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत इन कार्यवाही का समापन ए. डी. जे. द्वारा पुरस्कार को बरकरार रखने में हुआ। (विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम), हालांकि कुछ संशोधनों के साथ, 25.04.2019 पर।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत उसी के खिलाफ एक अपील लंबित बताई गई है।

3. इस बीच, इन परियोजनाओं में निवेश करने वाले कुछ घर खरीदारों द्वारा तीन रियल एस्टेट परियोजनाओं अर्थात (i) सेक्टर 114, गुरुग्राम, (ii) सेक्टर 89, फरीदाबाद और (iii) सेक्टर 88, फरीदाबाद में केएसटी व्हिस्परिंग हाइट्स के संबंध में कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ('सी. आई. आर. पी.') शुरू की गई थी।दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 7 (इसके बाद 'आईबीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत इस आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा

27.03.2019 पर स्वीकार किया गया था।उसी तारीख को, एक अंतरिम समाधान पेशेवर ('आई. आर. पी.') नियुक्त किया गया था।आईआरपी 153

मेसर्स आर. पी. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम

मुकुल कुमार और ए. एन. आर. [संजय किशन कौल, जे.] 154

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (इसके बाद 'आईबीबीआई विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियम 6 के साथ पठित आईबीसी की धारा 15 के अनुसार लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा जारी की।दावों की प्राप्ति के बाद, आई. आर. पी. ने 06.11.2019 पर लेनदारों की समिति ('सी. ओ. सी.') का गठन किया और मसौदा सूचना ज्ञापन प्रसारित किया और संभावित समाधान आवेदकों से रुचि की अभिव्यक्तियों को आमंत्रित किया।ऐसे पाँच आवेदन प्राप्त हुए थे।

4. इसके बाद, आई. आर. पी. को बदल दिया गया और प्रतिवादी नं. 1 को 18.06.2020 पर सी. ओ. सी. द्वारा कॉर्पोरेट ऋणदाता के समाधान पेशेवर (आर. पी.) के रूप में नियुक्त किया गया था।केएसटी व्हिस्परिंग हाइट्स रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को सी. ओ. सी. द्वारा 80.74% के बहुमत से 11.07.2020 पर अनुमोदित किया गया था।यह योजना तब प्रत्यर्थी सं. 1 आई. बी. सी. की धारा 31 के तहत 08.09.2020 पर अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को।हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट देनदार हमारे सामने कोई पक्ष नहीं है।हालांकि, समाधान पेशेवर को प्रतिवादी संख्या के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।1, जबकि उत्तरदाता नं।2 सफल समाधान आवेदक है।उत्तरदाता नं.2 इस न्यायालय के दिनांकित 29.10.2021 आदेश द्वारा वर्तमान दीवानी अपील में शामिल किया गया था।

5. अपीलार्थी ने 19.08.2020 पर प्रत्यर्थी नं.1 दिनांकित 01.08.2016 मध्यस्थता पुरस्कार से उत्पन्न कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ Rs.35,67,05,337 के उनके लंबित दावे पर प्रकाश डालते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में कुछ संशोधनों को स्वीकार किया गया। हालाँकि, उत्तरदाता नं।1 आई. डी. 1 पर इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि दावा जमा करने की समय अवधि सी. आई. आर. पी. शुरू होने के 90 दिनों के भीतर थी और आवेदक को 287 दिन की देरी हुई थी।सी. ओ. सी. द्वारा एक समाधान योजना पहले ही पारित की जा चुकी थी।

6. अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया। प्रत्यर्थी के एन. ओ. के लंबित रहने के दौरान। 1 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन, प्रत्यर्थी सं.1 ताकि अपीलार्थी के दावे पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जा सके।यह राहत अपीलार्थी को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित आधारों पर 03.11.2020 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से दी गई थीः(क) प्रत्यर्थी सं।1 अपीलार्थी के दावे को संक्षेप में खारिज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह दावा कॉर्पोरेट देनदार की लेखा पुस्तकों में दिखाई देता; (बी) ऐसे मामले में

लेखा बहियां उपलब्ध नहीं थीं, उत्तरदाता संख्या 1 का कर्तव्य था कि वह उन्हें प्राप्त करे और वित्तीय स्थिति का सत्यापन करे; और (ग) इस तरह की घोषणा सार्वजनिक समाचार पत्रों के माध्यम से की गई थी, यह संभावना थी कि अपीलार्थी उसी पर चूक गया।

7. इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ('एन. सी. एल. ए. टी.') के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत अपील की।

8. प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती नं।1 इससे पहले कि एन. सी. एल. ए. टी. मुख्य रूप से इस तरह के विलंबित दावे की अनुमति देने के संभावित परिणामों पर आधारित था, जब सी. ओ. सी. ने पहले ही समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी।अपीलार्थी ने दिनांक 30.03.2019 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा दावों के निमंत्रण के एक साल से अधिक समय बाद दावा किया था; यह आग्रह किया गया था कि इस तरह के दावों की अनुमति देने से सी. आई. आर. पी. पर समय लगेगा और एक मिसाल कायम होगी, जिससे सी. आई. आर. पी. लंबा और अक्षम होगा।इस याचिका के समर्थन में, निर्भरता

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य 1 के माध्यम से निर्णय पर रखा गया था।

, जहाँ इस न्यायालय ने राय दी कि समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद एक सफल समाधान आवेदक को अनिर्णित दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"……एक सफल समाधान आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अचानक "अनिर्णित" दावों का सामना नहीं करना पड़ सकता है क्योंकि यह एक हाइड्रा हेड पॉप अप करने के बराबर होगा जो एक संभावित समाधान आवेदक द्वारा देय राशि को अनिश्चितता में डाल देगा जो सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल लेगा।सभी दावों को समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि एक संभावित समाधान आवेदक को पता हो कि वास्तव में क्या भुगतान किया जाना है ताकि वह तब कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को संभाल सके और चला सके। यह सफल समाधान आवेदक एक नए स्लेट पर करता है, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर बताया है।इन कारणों से, एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय को भी इस मामले में अलग रखा जाना चाहिए।."

1 (2020) 8 एस. सी. सी. 534 (इसके बाद 'एस्सार स्टील' के रूप में संदर्भित)।

दूसरी ओर, अपीलार्थी ने समझाया कि वह समय पर दावे को पूरा नहीं कर सका क्योंकि वह सार्वजनिक घोषणा से अनजान था। एक विलंबित दावे को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आई. बी. सी. में समय–अवधि केवल निर्देशिका है और

ब्रिलियंट अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री एस. राजगोपाल के अनुसार अनिवार्य नहीं

& ओआरएस। 2, और किसी भी मामले में समाधान योजना को अभी तक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी नहीं।1 अपीलार्थी के दावे को सूचना ज्ञापन में एक आकस्मिक दायित्व के रूप में शामिल करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा था।

9. एन. सी. एल. ए. टी. ने दिनांक 30.07.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया।उनका तर्क इस प्रकार थाः

((i) प्रत्यर्थी सं।1 आई. बी. बी. आई. विनियमों के विनियम 6 के अनुसार दावे आमंत्रित करने के लिए उचित सेवा लागू की थी, जो केवल समाचार पत्रों के माध्यम से एक घोषणा को अनिवार्य करता है न कि व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से–एक ऐसा पहलू जो अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था; (ii) अपीलार्थी यह दिखाने में विफल रहा कि उसने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बारे में पता चलते ही अपने दावे का नेतृत्व किया था। अपीलार्थी ने 25.04.2019 पर मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि के बाद कॉर्पोरेट देनदार के पक्ष में 26.07.2019 पर एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी भी जारी किया;

((iii) प्रत्यर्थी सं।1 यहां तक कि एफ. आई. ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 19 के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें मांग की गई थी कि पूर्व प्रबंधन को सभी रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाए।हालाँकि इस प्रयास से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन यह उनके ईमानदार प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है।

(iv) आई. बी. बी. आई. विनियमों के विनियम 12 और 13 ने आर. पी. को सी. आई. आर. पी. शुरू होने के 90 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर दावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ब्रिलियंट अलॉयज 3 आई. बी. सी. की धारा 12 ए और आई. बी. बी. आई. विनियमों के विनियम 30 ए के तहत समयसीमा से निपटता है।ये प्रावधान आवेदन वापस लेने से संबंधित थे। इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आईबीबीआई विनियम प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्देशिका हो सकते हैं; और

2 (2022) 2 एस. सी. सी. 544 (इसके बाद 'शानदार मिश्र धातु' के रूप में संदर्भित)।3 (ऊपर)।

(v) सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, यदि नए दावों पर विचार किया जाता है, तो खतरे में पड़ जाएगी।

10. एन. सी. एल. ए. टी. के उपरोक्त दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की याचिकाएँः

11. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पुरस्कार के संदर्भ में दावा एक आकस्मिक दावा था क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्यवाही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार की चुनौती को खारिज करने के खिलाफ लंबित है।समाधान योजना में आकस्मिक दावों के लिए एक प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि राज्य कर कार्यालय बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड 4 में प्रदान किया गया है।इस प्रकार, यदि अपील खारिज कर दी जाती है और पुरस्कार स्पष्ट हो जाता है, तो अपीलार्थी का दावा, यदि आकस्मिक दावे में प्रदान नहीं किया गया है, तो निरर्थक हो जाएगा।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सी. आई. आर. पी. को पूरा करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 12 के तहत प्रदान की गई समयसीमा एस्सार स्टील 5 के फैसले के अनुसार केवल निर्देशिका थी।चूंकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभी तक समाधान योजना को मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को इसे एक आकस्मिक दायित्व के रूप में शामिल करना चाहिए था।न्यायनिर्णायक एजेंसी द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि एन. सी. एल. ए. टी. के इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।अपीलार्थी ने सी. आई. आर. पी. के बारे में जागरूकता की कमी का भी विरोध किया। यह आग्रह किया गया कि निगमित देनदार ने यह खुलासा नहीं किया कि सी. आई. आर. पी. या तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में शुरू किया गया था। यदि अपीलार्थी को सी. आई. आर. पी. के बारे में पता होता, तो उसने 16.11.2019 पर निष्पादन याचिका की बहाली के लिए आवेदन का नेतृत्व नहीं किया होता।

12. यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी ने आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को कॉर्पोरेट देनदार की लेखा पुस्तकों से आसानी से यह जानकारी मिल सकती थी।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 की दलीलेंः

13. उत्तरदाता नं.1, दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने सी. आई. आर. पी. के ज्ञान को आमंत्रित करने के लिए लागू प्रक्रिया माना था।

4 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1162 (इसके बाद 'इंद्रधनुष पत्र' के रूप में संदर्भित)।5 (ऊपर)।

आई. बी. सी. और आई. बी. बी. आई. विनियमों के तहत दावों का पालन किया गया।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड की खरीद के लिए आई. बी. सी. की धारा 19 के तहत एक आवेदन सहित सभी दावों को एकत्रित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए, हालांकि वे उपलब्ध नहीं कराए गए थे।अपीलार्थी के विलंबित दावे में मुकदमेबाजी के रास्ते खोलने की क्षमता थी यदि इसकी अनुमति दी गई थी।14. यह आग्रह किया गया कि आकस्मिक दावों के लिए एक व्यवस्था बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि समाधान योजना सूचना ज्ञापन के आधार पर तैयार की गई थी।योजना व्यापक थी और घर खरीदारों के दावों का ध्यान रखा गया था।

15. अंत में, यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय का एक हालिया निर्णय

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम.रमन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। 6.

इंद्रधनुष पत्र 7 में दिए गए निर्देश को केवल उस मामले के तथ्यों से जोड़ा गया था।इस स्तर पर, हम देख सकते हैं कि दोनों निर्णयों में कानून का प्रश्न अलग-अलग था।

हमारा दृष्टिकोणः

16. हमने उपरोक्त प्रस्तुतियों की जांच की है।हमारे सामने एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित अपीलार्थी का दावा, जो उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील में है, विलंबित चरण में शामिल किया जा सकता है-यानी समाधान योजना को सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद। 17.यह निर्विवाद है कि उत्तरदाता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नं। 1 को किसी भी तरह से भयभीत नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि क्या प्रतिवादी सं. द्वारा कोई प्रयास किया जाना चाहिए था। 1 निगमित ऋणदाता के अभिलेखों से उक्त पुरस्कार से संबंधित देनदारियों का पता लगाना।

18. यदि हम उपरोक्त याचिका का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नहीं। 1 ने वह किया जो आई. बी. सी. की धारा 19 के तहत एक आवेदन को स्थानांतरित करके कॉर्पोरेट देनदार के रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। यह कि यह फलदायी नहीं था, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का एक परिणाम है।इस प्रकार यह भी ज्ञात नहीं है कि इस पहलू पर अभिलेखों में कोई प्रतिबिंब था या नहीं।

6 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 842 (इसके बाद 'पश्चिमांचल' के रूप में संदर्भित)।7 (ऊपर)।

19. दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा दावे की अंतिम भाषा में देरी को प्रत्यर्थी सं.1. आई. बी. सी. एक समयबद्ध प्रक्रिया है।बेशक, कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनमें समय बढ़ाया जा सकता है।सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामला उन मापदंडों के भीतर आएगा।अपीलार्थी की ओर से देरी 287 दिनों की है।अपीलार्थी एक वाणिज्यिक संस्था है।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वे कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे।हमारा मानना है कि अपीलार्थी को उपरोक्त परिस्थितियों में यह पता लगाने के लिए पर्याप्त सतर्क रहना चाहिए था कि क्या निगमित देनदार सी. आई. आर. पी. से गुजर रहा था। अपीलार्थी ने इस पहलू की अवहेलना की है।परिणाम, निश्चित रूप से, यह है कि अपीलार्थी को कुछ हद तक खुला और सूखा छोड़ दिया गया है।

20. आई. बी. सी. की धारा 15 और आई. बी. बी. आई. विनियमों के विनियम 6 समाचार पत्रों के माध्यम से सी. आई. आर. पी. की सार्वजनिक घोषणा को अनिवार्य करते हैं।यह अपीलार्थी के बारे में माना गया ज्ञान होगा।किसी भी मामले में, समाचार पत्र की घोषणाओं के बारे में जानकारी नहीं होने का उनका अनुरोध एक वाणिज्यिक पक्ष के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए।

21. केवल यह तथ्य कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि योजना आगे-पीछे जा सकती है, जिससे सी. आई. आर. पी. एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है।इसके परिणामस्वरूप पूरे मुद्दे को फिर से खोला जाएगा, विशेष रूप से क्योंकि ऐसे अन्य समान व्यक्ति हो सकते हैं जो बैंडवागन पर कूद सकते हैं।जैसा कि ऊपर

वर्णित है, एस्सार स्टील 8 में, न्यायालय ने सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को स्वीकार किए जाने के बाद दावों की अनुमति देने के खिलाफ आगाह किया।

22. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी के कहने पर अध्याय को फिर से खोलने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय को दोष नहीं दिया जा सकता है।हम समाधान आवेदक पर अनिर्णित दावों के हाइड्रा–हेडेड राक्षस को मुक्त करने के लिए इसे कठिन पंथ मानते हैं।

23. उपरोक्त का परिणाम यह है कि अपील को खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन

8 (ऊपर)